बिहार सरकार
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग

सेवा में,

बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फाईनानसियल एकाउंटिंग के लिए चयनित सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्र ।

विषयः– बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन फाईनानसियल एकाउंटिंग का प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने के पूर्व की गतिविधियों के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अगले 2–3 माह के भीतर बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा GST+Tally में प्रारम्भ किये जाने वाले पाठ्यक्रम Bihar State Certificate in Financial Accounting का प्रशिक्षण चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रारम्भ कराये जाने की योजना है । इससे संबंधित आपके द्वारा नामित Learning facilitators का मुख्यालय स्तर पर आवासीय प्रशिक्षण दिनांक–23.5.2019 से स्थानीय दीपनारायण सिंह संस्थान में प्रारम्भ कराया जा चुका है तथा इससे संबंधित सूचना आपको email के माध्यम से दिनांक–18.5.2019, 20.5.2019 तथा पत्र संख्या–565 दिनांक–21.5.2019 के द्वारा दी जा चुकी है । बिहार कौशल विकास मिशन के स्तर से स्थानीय दीपनानारायण सिंह संस्थान में आयोजित चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण हेतु निम्न बिन्दुओं को स्पष्ट किया जाता है :–

1. 4 दिनों के प्रशिक्षण में कुल 16 सत्र आयोजित किये जायेंगे । एक सत्र 1 घंटा 30 मिनट का होगा तथा प्रत्येक दिन के प्रशिक्षण में 4 सत्र पूर्ण किये जायेंगे। प्रत्येक दिन के सभी 4 सत्रों के समापन के पश्चात एक Interactive Session या Open Hall discussion का आयोजन किया जायेगा । 4 दिनों के प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात 5वें दिन BS-CFA के प्रशिक्षित Learning facilitator का मूल्यांकन किया जायेगा ।
2. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न केन्द्रों के द्वारा नामित Learning facilitator को अपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र तथा पहचान हेतु एक प्रमाण पत्र यथा– 10वीं/12वीं/स्नातक वाणिज्य/ CA Inter/ CWA Inter/CS Inter/ आधार कार्ड/ पैन कार्ड आदि की मूल प्रति एक अतिरिक्त छाया प्रति के साथ लाना आवश्यक होगा ।
3. 4 दिनों के प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात 5वें दिन प्रशिक्षण में उपस्थित सभी Learning facilitator का मूल्यांकन किया जायेगा । यह मूल्यांकन तीन स्तर में संपन्न किया जायेगा, जिसकी विस्तृत विवरणी नीचे दी जा रही है –
   (i) प्रथम मूल्यांकन एक घंटे के Objective type परीक्षा के माध्यम से पूर्ण किया जायेगा । इस Objective type test (वस्तुनिष्ठ जाँच)में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा तभी वे दूसरे चरण के मूल्यांकन के लिए योग्य घोषित किये जा सकेंगे ।

(ii) द्वितीय चरण का मूल्यांकन वर्णनात्मक प्रश्नों (Descriptive questions) का होगा जिसकी अवधि 1 घंटे की होगी । इस चरण में भी सफल प्रशिक्षणार्थियों को कम से कम 50% प्राप्तांक लाने आवश्यक होंगे तभी वे तीसरे चरण के मूल्यांकन के लिए योग्य घोषित किये जा सकेंगे ।

(iii) तीसरे चरण का मूल्यांकन साक्षात्कार से संबंधित होगा, जिसमें भी उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

(iv) सभी स्तर का मूल्यांकन अलग-अलग 100 अंकों का होगा, जिसमें प्रत्येक स्तर पर सफल होने के लिए 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4. यदि कोई प्रशिक्षणार्थी किसी भी स्तर के मूल्यांकन में असफल हो जाते हैं तो उन्हें मूल्यांकन हेतु एक अतिरिक्त मौका दिया जायेगा, लेकिन इस अतिरिक्त मौके के लिए उन्हें पुनः सभी तीन स्तर के मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके लिए उन्हें निर्धारित तिथि की सूचना अलग से दी जायेगी ।
5. स्थानीय दीपनारायण सिंह संस्थान में आयोजित चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी रू0 5000/- की राशि बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा वसूल की जायेगी । यह राशि प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय के लिए ली जायेगी । होने वाले व्यय की गणना नीचे दिये गये तालिका के अनुसार की जायेगी -

(v) जो प्रशिक्षणार्थी चार दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के समाप्ति के पश्चात तीनों स्तरों के मूल्यांकन परीक्षा में सफल हो जायेंगे उनके प्रशिक्षण केन्द्र से रू0 2500/- की राशि की वसूली की जायेगी तथा शेष रू0 2500/- की राशि का वहन बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा किया जायेगा ।

(vi) वैसे प्रशिक्षणार्थी जो चार दिवसीय प्रशिक्षण के पश्चात मूल्यांकन के किसी भी स्तर पर असफल हो जाते हैं उनके लिए पूरे 5000/- की राशि संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र के कुशल युवा कार्यक्रम के होने वाले भुगतान से वसूल की जायेगी ।

(vii) वैसे प्रशिक्षणार्थी जिन्हें इस प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया है और वे प्रशिक्षण में भाग नहीं लेते हैं या प्रशिक्षण बीच में हीं छोड़कर चले जाते हैं या मूल्यांकन के किसी भी स्तर पर असफल हो जाते हैं, उनके लिए 5000/- की राशि संबंधित केन्द्र के कुशल युवा कार्यक्रम पर भुगतान किये जाने वाली राशि से वसूल कर लिया जायेगा ।

(viii) चार दिवसीय प्रशिक्षण समाप्त कर लेने के पश्चात अगर कोई प्रशिक्षणार्थी मूल्यांकन के किसी भी स्तर में असफल हो जाते हैं तथा उनके द्वारा पुनः मूल्यांकन हेतु एक और अतिरिक्त प्रयास किया जाता है तथा इसमें सफलता प्राप्त कर ली जाती है, तो ऐसे मामले में 2500/- की प्रतिपूर्ति बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा किया जायेगा । लेकिन असफल होने की स्थिति में पूरी राशि 5000/- की वसूली संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र से की जायेगी ।

6. उक्त अंकित निदेशों के आलोक में सभी चयनित प्रशिक्षण केन्द्रों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे योग्य, सक्षम एवं जानकार प्रशिक्षकों को हीं चयनित करते हुए इस प्रशिक्षण तथा मूल्यांकन की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु भेजें ।

7. सभी प्रशिक्षण केन्द्रों को यह विकल्प दिया जाता है कि वे अपने नामित प्रशिक्षकों को अपरिहार्य स्थिति में बदल सकते हैं, बशर्ते की प्रशिक्षण प्रारंभ होने के 24 घंटे पहले इसकी सूचना वे बिहार कौशल विकास मिशन को भेज देते हैं अर्थात कोई भी प्रशिक्षण केन्द्र अपने नामित प्रशिक्षक को बदल सकते हैं, बशर्ते की इसकी सूचना वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व पूर्वाह्न 9.00 बजे तक बिहार कौशल विकास मिशन को भेज देते हैं । ऐसे परिवर्तित तथा नामित प्रशिक्षकों को एक वैध Authorisation अपने साथ लाना होगा ।

8. सभी तीन चरणों के सफल प्रशिक्षकों का Biometric detail बिहार कौशल विकास मिशन के स्तर पर हीं Capture किया जायेगा तथा कालान्तर में सभी Certified Learning facilitator को इसी Captured biometric detail का उपयोग अपने केन्द्र पर करना होगा ।

9. बिहार कौशल विकास मिशन को उपर्युक्त अंकित दिशा निदेश में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इस पर किसी भी प्रशिक्षण केन्द्र के द्वारा उठाया गया कोई भी प्रश्न मान्य नहीं होगा ।

बिहार कौशल विकास मिशन ।